

न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर, टोंक  
(सामरतन सौकरिये द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या

08 / 2024

प्रविष्टि दिनांक:-

06.08.2024

ग्राम पंचायत पनवाड पंचायत समिति देवली तहसील देवली जिला टोंक जरिये  
सरपंच पूरणमल

.....निगरानीकर्ता

बनाम

धर्मराज नागर पुत्र श्री खानाराम नागर जाति धाकड़ निवासी दोलता उर्फ  
माधोसिंहपुरा तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

.....विपक्षी

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत एक्ट 1994 विरुद्ध पट्टा आदेश  
दिनांक 05.07.2022 ग्राम पंचायत पनवाड पट्टा क्रमांक 45 बुक संख्या 77 मिसल  
सं. 49 / 2022

उपस्थित: (1) श्री संजय कुमार जैन, अभिभाषक निगरानीकर्ता

(2) श्री देवीप्रकाश तिवाडी एवं श्री रोमेन्द्र गुर्जर, अभिभाषक विपक्षी।

निर्णय

दिनांक 22/4/25

संक्षेप में निगरानी का सार इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत पनवाड पंचायत समिति देवली जिला टोंक द्वारा अपने आदेश दिनांक 05.07.2022 व प्रस्ताव संख्या 04 से जरिये मिसल नम्बर 49/2022 एक पट्टा विलेख क्रमांक 45 भूमि खसरा नं0 52 रकबा 0.86 हेक्टर ग्राम पनवाड में विपक्षी संख्या 01 धर्मराज नागर पुत्र खानाराम नागर के पक्ष में 1800 वर्ग फीट यानि 200 वर्गगज का जारी किया गया। विपक्षीगण ने उक्त पट्टा विलेख को उपपंजीयक देवली के यहां दिनांक 18.11.2022 को पंजीबद्ध करवा लिया। उक्त पट्टे को विधि-विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने के आधार पर जारी होना बताते हुए निगरानीकर्ता ने यह निगरानी प्रस्तुत की है।



ADL  
अतिरिक्त कलेक्टर  
टोंक

निगरानी दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत से पट्टे की पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त पट्टा विलेख वास्तविक तथ्यों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विपक्षी ने ग्राम पंचायत के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत करके ग्राम पंचायत से उक्त पट्टा आबादी भूमि का जारी करवा लिया। जबकि उक्त भूमि का जो पट्टा जारी किया गया है वह भूमि आबादी भूमि में नहीं है बल्कि वह भूमि चारागाह खसरा नं. 52 है। चारागाह भूमि में ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। उक्त पट्टा सहवन व भूलवश आबादी भूमि के स्थान पर चारागाह भूमि में से जारी करने में आ गया। ग्राम पंचायत को विधि अनुसार जो भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में होती है उसी का पट्टा जारी करने का विधिक अधिकार होता है। चारागाह भूमि का पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं होने से पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। पट्टे की जांच पूर्ण हो चुकी है और उक्त पट्टा पब्लिक पोलिसी के विरुद्ध जारी हुआ है। ग्राम पंचायत की बैठक में सम्पूर्ण कोरम क्षरा उक्त पट्टे को ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के द्वारा निरस्त करने का निर्णय लिया गया है और उक्त प्रस्ताव के तहत विपक्षी को जरिये नोटिस सूचित भी किया जा चुका है। अतः निगरानी पेश कर निवेदन हैं कि निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी के पक्ष में जारी किया गया पट्टा संख्या 45 बुक 77 को निरस्त किया जावे।

अभिभाषक विपक्षीगण द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया एवं बहस की। अभिभाषक विपक्षी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत पनवाड पंचायत समिति देवली द्वारा प्रस्ताव सं०-4 लेकर आदेश दिनांक 05.07.2022 से पट्टा कमांक-45 (49/2022) नॉन रिवीजनर के हक में जारी किया गया है और उक्त पट्टा जारी करने के बाद ग्राम पंचायत द्वारा विधि अनुसार उक्त पट्टे को पंजीकृत करवाया है। उसके उपरांत भी गलत तथ्यों के आधार पर रिवीजनर द्वारा यह रिवीजन पेश की गई है। उक्त निगरानी मियाद बाहर पेश की गई है। विधि अनुसार निगरानी 90 दिवस के भीतर-भीतर पेश की जानी चाहिये थे, जो नहीं की गई है। पट्टा स्वयं ग्राम पंचायत पनवाड द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही होने के उपरांत व सरपंच/सचिव/ग्राम पंचायत द्वारा बाद जाँच जारी किया गया है, जिसकी जानकारी ग्राम पंचायत को अर्थात् रिवीजनर जारी करने की दिनांक से है। ग्राम पंचायत ने नॉन रिवीजनर से उक्त भूमि की डीएलसी राशि प्राप्त कर उक्त पट्टा जारी किया गया है। जिस भूमि पर पट्टा जारी किया गया है, वह भूमि नॉन रिवीजनर के परिवार के कब्जे में 90 वर्षों से भी अधिक समय से है जहाँ पर नॉन रिवीजनर ने एक मकान व एक होटल बना रखी है, जिस पर



Handwritten signature and stamp of the District Collector, Tonk. The text below the signature reads 'अतिरिक्त जिला कलेक्टर' (Additional District Collector) and 'टोंक' (Tonk).

लाईट कनेक्शन भी है। उक्त लाईट कनेक्शन भी वर्ष 1995 से पूर्व का है। ग्राम पंचायत द्वारा नॉन रिवीजनर के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि के समीप ही काली देवी पत्नी कैलाश जाति कूड तथा जितेन्द्र सोयल को चारागाह भूमि में पट्टा जारी किया है किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा या किसी भी अन्य अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की है। काली देवी तथा जितेन्द्र सोयल ने उक्त पट्टा प्राप्त कर बैंक से ऋण भी प्राप्त किया हुआ है और उक्त पट्टे को बैंक के समक्ष बंधक किया है। इसी प्रकार गिरधारी पुत्र श्योजी मीणा निवासी नेगडिया को खसरा नम्बर 2465/247 में पट्टा जारी करना दर्शित किया है। जबकि खसरा नम्बर 2465/247 नम्बर की कोई भूमि अस्तित्व में ही नहीं है। जो भूमि अस्तित्व में है, वह खसरा नम्बर 2465 की भूमि है, जो बिसलपुर परियोजना के नाम है, जिसके खिलाफ भी कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है। इसी प्रकार रामप्रसाद मीणा को बिसलपुर परियोजना की ग्रीन बेल्ट की भूमि पर, लक्ष्मीनारायण, सुमन मीणा पुत्री नरेन्द्र सिंह मीणा, श्रीमति कल्ली देवी मीणा, रामसिंह मीणा पुत्र उनमाराम, नरेन्द्र सिंह मीणा पुत्र रामसिंह, मनीषा मीणा पत्नी बजेन्द्र सिंह मीणा के नाम पट्टे जारी किए गए हैं। उक्त पट्टाधारकों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही ग्राम पंचायतों द्वारा नहीं की गई है और मात्र नॉन रिवीजनर के विरुद्ध रंजिशवश यह कानूनी कार्यवाही की जा रही है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा निरस्त करने हेतु लिए गए प्रस्ताव से पूर्व विपक्षी को नहीं सुना गया है और ना ही कोई नोटिस जारी किया गया है। एक बार ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्वात लेने के बाद उक्त प्रस्वात को निरस्त करने का विधि अनुसार कोई प्रावधान नहीं है। उक्त प्रस्ताव के विरुद्ध ग्राम पंचायत को रिवीजन पेश करनी चाहिए थी, जो नहीं की गई है। उक्त पट्टा को उपपंजीयक द्वारा नियमानुसार पंजीबद्ध किया हुआ है। ऐसी स्थिति में उक्त पट्टे को सिविल न्यायालय द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है, जिसके संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा सही एवं वैधानिक है तथा निगरानी निरस्त फरमायी जावे।

हमने अभिभाषक उभयपक्ष की बहस को सुना एवं मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, ग्राम पंचायत पनवाड़ की पट्टा सं. 49/2022 की पत्रावली व विपक्षी के जवाब का आद्योपान्त अध्ययन किया। ग्राम पंचायत की पट्टा पत्रावली व निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत पनवाड़ द्वारा जो पट्टा सं. 45 विपक्षी को जारी किया गया है, वह खसरा नं. 52 में स्थित है। उक्त भूमि चारागाह भूमि है जो कि निगरानीकर्ता द्वारा पेश नकल जमाबन्दी से स्पष्ट है। चारागाह भूमि में ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत को विधि अनुसार जो भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में होती है उसी का पट्टा जारी करने का विधिक अधिकार होता है। चारागाह भूमि प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में आती है एवं चारागाह भूमि का पट्टा जारी करने का



बहिरिकत  
डिप्टी कमिश्नर  
डॉ०

अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है इसलिए पट्टा प्रारम्भिक स्तर पर ही अवैध है एवं अवैध पट्टे को रजिस्टर्ड करा लेने मात्र से ही अवैध पट्टे को वैध ठहराया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। पट्टे की जांच पूर्ण हो चुकी है और ग्राम पंचायत की बैठक में सम्पूर्ण कोरम द्वारा उक्त पट्टे को निरस्त करने का निर्णय लिया जा चुका है। विपक्षी ने कथन किया है कि अन्य पट्टाधारकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गयी है परन्तु इससे विपक्षी के पक्ष में चारागाह भूमि में जारी पट्टे को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। चारागाह भूमि में पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। ग्राम पंचायत ने जो आदेश पारित किया है, वह गलत एवं नियमों के प्रतिकूल है। ऐसी स्थिति में हम ग्राम पंचायत पनवाड पंचायत समिति देवली जिला टोंक द्वारा अपने आदेश दिनांक 05.07.2022 से विपक्षी को जारी पट्टा विलेख क्रमांक 45 भूमि खसरा नं0 52 रकबा 0.86 हेक्टेयर ग्राम पनवाड 1800 वर्ग फीट यानि 200 वर्गगज को निरस्त किया जाना उचित समझते हैं।

फलतः निगरानी निगरानीकर्ता स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत पनवाड, पंचायत समिति देवली द्वारा 05.07.2022 को प्रस्ताव संख्या 04 के द्वारा विपक्षी धर्मराज नागर पुत्र खानाराम नागर के पक्ष में भूमि खसरा नं0 52 रकबा 0.86 हेक्टेयर ग्राम पनवाड में 1800 वर्ग फीट यानि 200 वर्गगज का जारी किया गया पट्टा विलेख क्रमांक 45 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22/4/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



*AdL*  
(सामरतन चौकिया)  
अतिरिक्त जिला टोंक  
कलेक्टर  
टोंक